"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20 01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 सितम्बर 2006—आश्विन 7, शक 1928

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं राजेश जैन आत्मज श्री प्रदीप जैन, उम्र 19 वर्ष, निवासी-जैन भवन रोड, भिलाई-3, तहसील-पाटन, जिला-दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर राज गटागट रख लिया हूं तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे राज गटागट आत्मज श्री प्रदीप जैन के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
राजेश जैन आत्मज- श्री प्रदीप जैन निवासी-जैन भवन रोड, भिलाई-3 तहसील-पाटन जिला-दुर्ग (छ. ग.)	राज गटागट आत्मज- श्री प्रदीप जैन निवासी-जैन भवन रोड, भिलाई-3 तहसील-पाटन जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं आलोक अग्रवाल आत्मज श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल वर्तमान निवासी-विवेकानन्द कालोनी, शांति नगर, थाना-सुपेला, भिलाई, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर आलोक हेलीवाल रख लिया हूं तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे आलोक हेलीवाल आत्मज श्री श्याम सुन्दर हेलीवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

आलोक अग्रवाल
आत्मज-श्री श्याम सुन्दर अग्रवाल
निवासी-विवेकानन्द कालोनी
शांति नगर, थाना-सुपेला, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

आलोक हेलीवाल
आत्मज-श्री श्याम सुन्दर हेलीवाल
निवासी-विवेकानन्द कालोनी
शांति नगर, थाना-सुपेला, भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कु. सीमा बाई जैन आत्मजा श्री जीतमल जैन, निवासी-ब्लाक 36/1, नेहरू नगर ईस्ट, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मैं अपने उपनाम को परिवर्तित कर श्रीमती सीमा अग्रवाल पति श्री विकास अग्रवाल रख ली हूं तथा इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती सीमा अग्रवाल पति श्री विकास अग्रवाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

कु. सीमा बाई जैन
आत्मजा-श्री जीतमल जैन
निवासी-ब्लाक 36/1, नेहरू नगर ईस्ट,
भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती सीमा अग्रवाल
पति-श्री विकास अग्रवाल
निवासी-ब्लाक 36/1, नेहरू नगर ईस्ट,
भिलाई
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

निविदा सूचनाएं

बिलासपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2006

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा क्रमांक 10/त.शा./का. यं./लो. स्वा./2006-2007.—मुहरबंद एकल समूहवार एकमुश्त निविदाएं प्रपत्र "एफ" में नीचे उल्लेखित नल जल प्रदाय योजनाओं के तहत हेतु टर्न की जाब के आधार पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में दिनांक 17-10-2006 को अपरान्ह 3.00 बजे तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, (छ. ग.) के निर्धारित अथवा उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से आमंत्रित की जाती है.

निविदा के तकनीकी प्रस्ताव निम्न तिथि अर्थात् दिनांक 17-10-2006 अपरान्ह 3.30 बजे निविदादाताओं या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोले जावेंगे. निविदा के वित्तीय प्रस्ताव; खोलने की तिथि तथा स्थान की सूचना तकनीकी प्रस्ताव खोलने के बाद दी जावेगी.

कार्य का नाम

निम्नलिखित ग्रामीण नलजल योजनाओं के अंतर्गत आरसीसी उच्चस्तरीय जलागार का डिजाईन, निर्माण, परीक्षण व स्थापित करना. (सभी पाईप स्पेशल्स फिटिंग आदि के प्रदाय तथा स्थापना सहित)

ग्रु. क्र.	कार्य स्थल का विवरण	ठेके की संभावित राशि रु. लाखों में	धरोहर की राशि रु.	निविदा प्रपत्र का मूल्य रु.	कार्य पूर्ण करने की अवधि (वर्षाऋतु छोड़कर)	ठेकेदारों की श्रेणी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ग्राम मानिकचौरी, विकासखंड मस्तुरी, टंकी की क्षमता 100 के. एल., ऊंचाई 15 मीटर (प्रथम आमंत्रण)	9.75	7400/-	750/-	4 माह	A-1/S-1 एवं उससे ऊपर
2.	ग्राम भरनी, विकासखंड तखतपुर, टंकी की क्षमता 100 के. एल., ऊंचाई 12 मीटर (द्वितीय आमंत्रण)	8.00	6000/-	750/-	4 माह	A-1/S-1 एवं उससे ऊपर

शर्तें

निविदा प्रपत्र क्रय करने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 13-10-2006 तक (कार्यालयीन अवधि) में प्राप्त किये जावेंगे. कोरे निविदा प्रपत्र एवं संबंधित अभिलेख अधोहस्ताक्षरकर्त्ता के कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में दिनांक 16-10-2006 तक निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किये जा सकते हैं. निविदा प्रपत्र डाक द्वारा मंगवाने पर रुपये 50/- अतिरिक्त शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, परन्तु डाक से विलंब के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा. निविदा की अन्य शर्तें कार्यालयीन अवधि में प्राप्त की जा सकती है. पंजीकृत ठेकेदार निविदा प्रपत्र प्राप्त करने के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व उक्त दोनों ग्रामों का स्थल निरीक्षण कर वर्तमान स्थिति सुनिश्चित कर लेवें.

निविदा प्रपत्र प्रदाय हेतु आवेदन अधोहस्ताक्षरकर्त्ता को प्रस्तुत किया जावें, एवं उसके साथ निम्नलिखित जानकारियां अनिवार्य रूप से प्रस्तुत की जावें.

1. नवीन आयकर प्रमाण-पत्र एवं छत्तीसगढ़ शासन का वाणिज्यिककर पंजीयन प्रमाण-पत्र.

2. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, छत्तीसगढ़ राज्य में पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र.

3. निविदा कार्य का समरूप पूर्ण किये गये कार्य एवं अन्य प्रगतिशील कार्यों की सूची जिसमें कार्य का स्थान, अनुबंध की राशि, कार्यादेश का संदर्भ, कार्य पूर्ण करने की अवधि, कार्य पूर्ण करने की वास्तविक अवधि एवं कार्य की वर्तमान स्थिति का उल्लेख करना होगा.

4. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया 125 के. एल. अथवा उससे अधिक क्षमता का उच्च स्तरीय आर. सी. सी. जलागार के निर्माण कार्य के संतोषप्रद संपादन का प्रमाण-पत्र जो कार्यपालन अभियंता के स्तर से नीचे का अधिकारी न हो.

5. सफलतापूर्वक कार्य पूर्ण करन हेतु उपलब्ध उपकरण एवं संयंत्रों की सूची.

अन्य शर्तें

1. एकमुश्त निविदा दर समस्त कर एवं अधिभार जो कार्य संपादन के समय प्रभावी हो सहित होना चाहिये.

2. कार्य हेतु ठेकेदार को आई. एस. आई. मार्क की आवश्यक ओ. पी. सी. सीमेंट आई ए. 269-1975 की स्वयं लगाना होगा. साथ ही टेस्ट प्रमाण-पत्र ठेकेदार को प्रस्तुत करना होगा.

3. विलंब से प्राप्त निविदा अथवा निर्धारित स्वरूप में धरोहर राशि प्राप्त न होने पर प्रस्तुत निविदा बिना खोले ही निविदादाता को वापस कर दी जावेगी.

4. किसी भी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार विभाग के सक्षम अधिकारी को होगा.

5. निविदाकार को वर्तमान में प्रगतिरत टंकी के कार्य का विवरण जैसे स्थान, विभाग, क्षमता, स्टेजिंग एवं लागत का उल्लेख कर विवरण देना होगा.

6. जिस निविदाकार ने निविदा दिया है, तथा उनकी दर न्यूनतम एवं विचाराधीन है, इसके अन्तर्गत स्थान, क्षमता, स्टेजिंग एवं लागत का पूर्ण उल्लेख होना चाहिये.

7. यदि किसी तथ्य को छुपाया जावेगा तो निविदाकार से नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

8. निविदाकार को न्यूनतम 100 किलो लिटर या उससे अधिकतम क्षमता की उच्च-स्तरीय आर. सी. सी. टंकी सफलतापूर्वक निर्माण का अनुभव (प्रमाण-पत्र) प्रस्तुत किया जाना होगा एवं प्रमाणीकरण कार्यपालन अभियंता, के स्तर अथवा उससे ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी का होना चाहिये.

9. निविदा प्रपत्र सिर्फ आर. सी. सी. टंकी निर्माण का अनुभव प्राप्त ठेकेदारों को ही प्रदाय किया जावेगा.

10. समस्त विवादों का निपटारा सक्षम न्यायालय में बिलासपुर जिले के अंतर्गत किया जावेगा.

11. निविदा सूचना छ. ग. के वेबसाइट http/www/chhattisgarh/NIC IN/Tender में उपलब्ध रहेगी. ठेकेदार उक्त विज्ञप्ति e-mail के माध्यम से Pramarao@c.g.nic से प्राप्त कर सकते हैं.

12. निविदा दरों की वैधता खुलने की दिनांक से 120 दिनों तक मान्य होगी.

आर. के. गेंदले,
कार्यपालन अभियंता,
लोक. स्वा. यां. खंड, बिलासपुर (छ.ग.)

(7)

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.